



चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा
नीट यू0जी0-2023 काउंसिलिंग

राजकीय/निजी क्षेत्र के मेडिकल एवं डेंटल
कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु
(एम.बी.बी.एस. तथा बी.डी.एस. पाठ्यक्रम)

विवरण पुस्तिका (Brochure)

Directorate of Medical Education and Training
Uttar Pradesh, Lucknow

National Eligibility cum Entrance Test
NEET UG -2023 Counseling

For Admission in Government/Private
Medical & Dental College/Institutions/University
(M.B.B.S. & B.D.S. Courses)

AW
24.07

AW
24/7/23

AW
24/7/23

AW
24.7.23

अनुक्रमणिका

क्रम संख्या	विषय	पृष्ठ क्रमांक
अध्याय-1	अर्हताएं	3
अध्याय-2	आरक्षण	4-5
अध्याय-3	पंजीकरण प्रक्रिया	6-7
अध्याय-4	काउंसलिंग प्रक्रिया	8-9
अध्याय-5	प्रवेश प्रक्रिया	10
अध्याय-6	त्यागपत्र	11-12
अध्याय-7	अनिवार्य शासकीय सेवा बाण्ड	13
अध्याय-8	सहायता केन्द्र	14-15
अनुलग्नक		
I.	ऑनलाइन प्रमाण पत्र सत्यापन केन्द्र	16
II.	प्रवेश हेतु नोडल सेन्टर	17-18
III.	राजकीय क्षेत्र के मेडिकल एवं डेण्टल कालेजों की सूची	19
IV.	निजी क्षेत्र के मेडिकल एवं डेण्टल कालेजों की सूची	20-21
V.	दिव्यांगजन प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निर्धारित केन्द्रों की सूची	22-24
VI.	अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सूची	25-26
VII.	शासकीय सेवा बाण्ड का प्रारूप	27-28
VIII.	एन0टी0ए0 ब्रोशर	29-32
IX.	काउंसलिंग प्रक्रिया का फ्लो चार्ट	33



अध्याय-1

अर्हताएं

- ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें नीट यू0जी0- 2023 की परीक्षा में अर्ह घोषित किया गया हो।
- प्रदेश के राजकीय क्षेत्र के समस्त मेडिकल एवं डेण्टल कालेजों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। इस निमित्त, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष दोनों परीक्षाएँ उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हो, उनके लिए डोमिसाईल/सामान्य निवास प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं होगा।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट में से एक अथवा दोनों परीक्षाएँ उत्तर प्रदेश के बाहर से उत्तीर्ण की है तथा उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी है, ऐसे अभ्यर्थियों को डोमिसाईल/सामान्य निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- प्रदेश के निजी क्षेत्र के मेडिकल एवं डेण्टल कालेजों/विश्वविद्यालयों तथा अल्पसंख्यक संस्थाओं में संचालित स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक नहीं होगा तथा भारत के अन्य प्रदेशों से हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी अर्ह होंगे।
- एन0टी0ए0 (National Testing Agency) द्वारा नीट यू0जी0-2023 हेतु जारी ब्रोशर में उल्लिखित शैक्षणिक अर्हताएं स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु लागू होंगी। (अनुलग्नक-VIII)



अध्याय-2

आरक्षण

- यू0पी0 नीट यू0जी0-2023 के काउंसलिंग हेतु आरक्षण शासनादेश संख्या-I/348805/2023, Dated 13-07-2023 के अनुसार अनुमन्य होंगे। [Link](#)
- आरक्षण के संबंध में उक्त शासनादेश में दिये गये प्राविधानों के सुसंगत अंश निम्नवत् है:-

क) उर्द्धवाधर (Vertical) आरक्षण:-

- विशेष समन्वित योजना (एस0सी0पी0) के अन्तर्गत स्थापित राजकीय मेडिकल कालेजों को छोड़कर अन्य समस्त राजकीय क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों में उर्द्धवाधर आरक्षण निम्नवत् देय होगा:-

1	अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी	21 प्रतिशत
2	अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी	02 प्रतिशत
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी	27 प्रतिशत
4	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी	10 प्रतिशत

- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जारी आरक्षित वर्ग की जातियों की अद्यतन सूची के अनुसार देय होगा। (अनुलग्नक-VI)
- प्रदेश में विशेष समन्वित योजना (एस0सी0पी0) के अन्तर्गत स्थापित राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर, कन्नौज, जालौन तथा सहारनपुर में उर्द्धवाधर आरक्षण के अन्तर्गत शासन द्वारा सीटों का श्रेणीवार विभाजन निम्नवत् किया गया है:-

क्र0 सं0	श्रेणी	राज्य सरकार द्वारा आवंटित सीटे	भारत सरकार द्वारा आवंटित सीटे	योग
1	अनुसूचित जाति	62	02	64
2	अनुसूचित जनजाति	05	01	06
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	11	04	15
4	अनारक्षित	07	08	15
	योग	85	15	100

ख) क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण:-

- उपरोक्त उर्द्धवाधर (Vertical) आरक्षण में निम्नलिखित श्रेणी के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण प्रदान किया जायेगा:-

1	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए	02 प्रतिशत
2	भूतपूर्व सैनिक (युद्ध में अपंग/सेवानिवृत्त/शहीद) के पुत्र/पुत्री के लिए	02 प्रतिशत




3	दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए	05 प्रतिशत
4	एन0सी0सी0 कैंडेट के लिए (कम से कम बी ग्रेडिंग सहित सी सर्टिफिकेट)	01 प्रतिशत
5	महिला अभ्यर्थियों के लिए	20 प्रतिशत

- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी हेतु दिनांक 01 अप्रैल, 2023 के बाद का निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- आरक्षण से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्र (दिव्यांगता एवं एन0सी0सी0 प्रमाण-पत्र को छोड़कर) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ही मान्य होंगे। स्टेट कोटे की सीटों पर काउंसिलिंग हेतु केन्द्रीय संस्थाओं के लिए जारी आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।
- दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, मेडिकल काउन्सिलिंग कमेटी, भारत सरकार के महानिदेशालय स्वास्थ्य सेवाये, नई दिल्ली द्वारा जारी नोटिस संख्या-U-11011/01/2023-MEC dated 5-7-2023 में दिये गये निर्देशानुसार निर्धारित केन्द्रों से निर्गत एवं निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होंगे। (अनुलग्नक-V)
- एन0सी0सी0 प्रमाण पत्र (कम से कम बी ग्रेडिंग सहित सी सर्टिफिकेट) निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ही मान्य होंगे।
- निजी क्षेत्र की मेडिकल/डेंटल कालेजों की सीटों पर किसी भी प्रकार का आरक्षण देय नहीं है।
- अल्पसंख्यक संस्थानों की 50 प्रतिशत सीटें सम्बन्धित धार्मिक अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों से आवंटित की जायेगी तथा 50 प्रतिशत सीटें ओपेन श्रेणी के अभ्यर्थियों से आवंटित की जायेगी।
- नीट यू0जी0 2023 के आवेदन के समय उ0प्र0 राज्य के आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा यदि अपनी श्रेणी अनारक्षित अंकित की गयी हो, तो यू0पी0 नीट यू0जी0 2023 के काउंसिलिंग हेतु पंजीकरण के समय ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा अपना पंजीकरण आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत कराने पर संबंधित आरक्षित श्रेणी का लाभ नियमानुसार देय होगा।
- शासनादेश संख्या-22 सीएम/26-3-2013 दिनांक-10.06.2013 द्वारा विमुक्त जाति के आरक्षण के सम्बन्ध में शासनादेश के बिन्दु संख्या-03 एवं 04 में निम्न व्यवस्था की गयी है:-

3- जहाँ तक विमुक्त जातियों को आरक्षण की सुविधा की अनुमन्यता का प्रश्न है कि विमुक्त जाति के अन्तर्गत आने वाली, जो जातियाँ अनुसूचित जाति अथवा पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत वर्गीकृत हैं, उन्हें तदनु रूप उक्त वर्गों हेतु अनुमन्य आरक्षण की सुविधा प्रदत्त होगी।

4- यह स्पष्ट किया जाता है कि विमुक्त जातियों को विमुक्त जाति के नाम से आरक्षण की सुविधा अनुमन्य नहीं है, अपितु जैसा कि उपर स्पष्ट किया गया है कि विमुक्त जातियों की सूची में अंकित वह जातियाँ, जो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित हैं, उन्हें उक्त जाति को अनुमन्य आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा।





अध्याय-3 पंजीकरण प्रक्रिया

ऑनलाइन पंजीकरण एवं पंजीकरण शुल्क-

- पंजीकरण हेतु अभ्यर्थी नीट काउंसिलिंग की वेबसाइट <https://upneet.govt.in> पर लॉगिन करते हुये नीट यू0जी0 2023 के रोल नं0 एवं एप्लीकेशन नं0 प्रयोग करेंगे तथा स्क्रीन पर दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार पंजीकरण फार्म में भरेंगे।
- अभ्यर्थी को पंजीकरण फार्म में समस्त अपेक्षित विवरण अंकित करना होगा तत्पश्चात अभ्यर्थी को एक पासवर्ड बनाना होगा। उक्त पासवर्ड का प्रयोग अभ्यर्थी द्वारा च्वाइस फिलिंग के समय किया जायेगा।
- नीट यू0जी0 2023 की काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पंजीकरण शुल्क रू0 2,000/- प्रति अभ्यर्थी (दोनों चक्रों की काउंसिलिंग हेतु) तथा मॉप अप राउण्ड हेतु रू0 1000/- प्रति अभ्यर्थी (मॉपअप राउण्ड में प्रतिभाग करने हेतु सभी अर्ह अभ्यर्थियों को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा) पंजीकरण शुल्क ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से जमा करना होगा।
- यदि अभ्यर्थी प्रथम चक्र की काउंसिलिंग हेतु पंजीकरण नहीं करता है, तो ऐसे अभ्यर्थी द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग हेतु रू0 2,000/- जमा कराकर प्रतिभाग कर सकते हैं।
- पंजीकरण शुल्क, नॉन रिफण्डेबल (Non Refundable) है।
- पंजीकरण के पश्चात अभ्यर्थी को पंजीकरण फार्म एवं पंजीकरण शुल्क की रसीद डाउनलोड करनी होगी।

धरोहर धनराशि :-

- धरोहर धनराशि जमा करने से पूर्व अभ्यर्थी अपनी अर्हता स्वयं जाँच ले।
- यू0पी0 नीट यू0जी0 2023 की काउंसिलिंग हेतु धरोहर धनराशि ऑनलाइन माध्यम से निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-
 1. राजकीय क्षेत्र के कालेजों हेतु रू0 30,000/- (रूपये तीस हजार मात्र)
 2. निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों हेतु रू0 2,00,000/- (रूपये दो लाख मात्र) तथा
 3. निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेजों हेतु रू0 1,00,000/- (रू0 एक लाख मात्र)
- यदि कोई अभ्यर्थी राजकीय तथा निजी क्षेत्र दोनों ही प्रकार की सीटों हेतु काउंसिलिंग कराना चाहता है तो उसे मात्र रू0 2,00,000/- (रूपये दो लाख मात्र) जमा करना होगा।
- धरोहर धनराशि जमा करने के पश्चात अभ्यर्थी को धरोहर धनराशि की रसीद डाउनलोड करनी होगी।
- जिन अभ्यर्थियों द्वारा धरोहर धनराशि जमा नहीं की जायेगी, वह च्वाइस फिलिंग हेतु अर्ह नहीं होंगे।
- समस्त चक्र की काउंसिलिंग समाप्त होने के उपरान्त यदि अभ्यर्थी को कोई भी सीट आवंटित नहीं होती है तो ऐसी दशा में उसकी धरोहर धनराशि, जिस खाते से भुगतान किया होगा, उसी खाते में नियमानुसार वापस की जायेगी।
- राजकीय/निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश लेने के उपरान्त धरोहर धनराशि अभ्यर्थी को वापस कर दी जायेगी।
- जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवंटन के पश्चात प्रवेश प्राप्त नहीं किया जाएगा तो उनकी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जाएगी।



आनलाइन अभिलेखों का सत्यापन –

- यू0पी0 नीट यू0जी0–2023 के अन्तर्गत काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अभिलेखों का सत्यापन आनलाइन किया जायेगा।
- पंजीकरण करते समय अभ्यर्थी को (अनुलग्नक-1) में दिये गये आनलाइन सत्यापन हेतु नोडल सेण्टरों में से किसी एक नोडल सेन्टर का चयन करना होगा।
- अभ्यर्थियों द्वारा इस हेतु निम्नांकित अभिलेख अपलोड किए जायेंगे:–
 1. हाईस्कूल मार्कशीट
 2. इण्टरमीडिएट मार्कशीट
 3. आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र (OBC, SC, ST, EWS & EX. Army, NCC, FF, PwD)
 4. डोमिसाईल सर्टिफिकेट

Aw

Ans

Ans

अध्याय-4 काउंसिलिंग प्रक्रिया

- धरोहर धनराशि जमा करने के पश्चात अभ्यर्थी को च्वाइस फिलिंग करना होगा।
- अभ्यर्थी च्वाइस लॉकिंग हेतु उपलब्ध विकल्पों में से सभी विकल्पों का चयन करने हेतु स्वतन्त्र होगा।
- च्वाइस फिलिंग के पश्चात् च्वाइस लॉक करना अनिवार्य होगा च्वाइस लॉक न करने की दशा में सीट आवंटन नहीं होगा।
- अभ्यर्थी द्वारा चयनित विकल्पों के क्रम से ही उसके रैंक के अनुसार उपलब्ध सीट का आवंटन किया जाएगा।
- प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग द्वारा आवंटित सीट पर अभ्यर्थी को प्रवेश प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में जमा की गयी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- ऐसे अभ्यर्थी द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पुनः धरोहर धनराशि जमा करने के पश्चात ही अर्ह होंगे।
- ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग से कोई भी सीट आवंटित न हुई हो एवं प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थियों को द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पुनः धरोहर धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- प्रथम चक्र की काउंसिलिंग से प्रवेशित ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में अभ्यर्थी द्वारा पुनरावंटन हेतु दिये गये विकल्प के अनुसार यदि कोई अन्य सीट आवंटित हो जाती है तो पूर्व में आवंटित सीट स्वतः रिक्त होकर किसी अन्य अर्ह अभ्यर्थी को आवंटित हो जायेगी। पुनरावंटन न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा प्रथम काउंसिलिंग से प्रवेशित सीट यथावत बनी रहेगी।
- पुनरावंटन हेतु अभ्यर्थी प्रथम चक्र की काउंसिलिंग से प्रवेशित सीट का विकल्प द्वितीय चक्र में न भरें। यदि अभ्यर्थी को प्रथम चक्र की प्रवेशित सीट ही पुनरावंटन के दौरान पुनः आवंटित हो जाती है, तो उक्त अभ्यर्थी को प्रवेश प्रक्रिया पुनः पूर्ण करनी होगी, अन्यथा उसका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा।

मॉपअप राउण्ड-

- माप-अप राउण्ड हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे, जिन्हें यू0पी0 नीट यू0जी0-2023 की प्रथम एवं द्वितीय काउंसिलिंग के द्वारा कोई भी सीट आवंटित न हुई हो।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम व द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में पंजीकरण नहीं किया है, ऐसे अभ्यर्थी भी पंजीकरण कराते हुए मॉप-अप राउण्ड में प्रतिभाग कर सकते हैं।
- माप-अप राउण्ड में प्रतिभाग करने हेतु समस्त अर्ह अभ्यर्थियों को एन0आई0सी0 पोर्टल <https://upneet.gov.in> पर रू0 1000/- पंजीकरण शुल्क जमा करते हुये पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
- यू0पी0 नीट यू0जी0-2023 की प्रथम या द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग से आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी एवं ऑल-इंडिया कोटे तथा अन्य प्रदेशों के किसी भी चक्र की काउंसिलिंग के माध्यम से प्रवेशित अभ्यर्थी माप-अप राउण्ड हेतु अर्ह नहीं होंगे।
- मॉप-अप राउण्ड से आवंटित अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय समस्त शैक्षणिक, जाति प्रमाण पत्र व अन्य आवश्यक प्रपत्र मूलरूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में उनके अभ्यर्थन पर कोई भी विचार नहीं किया जायेगा।
- स्टेट कोटे की आरक्षित श्रेणी की सीटों का आमेलन मॉप-अप राउण्ड के दौरान किया जायेगा। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवंटन के उपरांत आरक्षित श्रेणी की यदि कोई सीट रिक्त रह

Am

Arun

Dra 8

जाती है, तो रिक्त सीटों को निम्नांकित तालिका के अनुसार आमेलित करते हुए आवंटन प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी:-

Conversion Algorithm

S.No.	Conversion Category	Category Converted To
1	ST (PwD, Ex, FF, NCC)	ST
2	SC (PwD, Ex, FF, NCC)	SC
3	UR (PwD, Ex, FF, NCC)	UR
4	OBC (PwD, Ex, FF, NCC)	OBC
5	EWS (PwD, Ex, FF, NCC)	EWS
6	ST	SC
7	SC	UR
8	OBC	UR
9	EWS	UR
10	Minority	UR

An

Am

Am

अध्याय-5 प्रवेश प्रक्रिया

- राजकीय क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय में आवंटित अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रक्रिया आवंटित कालेज में सम्पन्न करनी होगी।
- निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज/विश्वविद्यालय एवं अल्प-संख्यक संस्थान हेतु प्रवेश प्रक्रिया के सम्बन्ध में रिट याचिका (सिविल) संख्या-267/2017 दार्-अस-सलाम एजूकेशनल ट्रस्ट व अन्य बनाम मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.05.2017 के क्रम में, विभिन्न मेडिकल कालेजों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों को नोडल सेण्टर बनाकर निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों में आवंटित अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी।
- निजी क्षेत्र के कालेजों में प्रवेश हेतु निर्धारित नोडल सेन्टर की सूची संलग्न है। (अनुलग्नक-II)
- निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज/विश्वविद्यालय (अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर) में आवंटित अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय ही शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। अल्पसंख्यक संस्थानों/कॉलेजों में प्रवेश के समय अभ्यर्थियों को सम्बन्धित कॉलेजों/संस्थानों द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा।
- निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों/विश्वविद्यालयों हेतु यह अनिवार्य होगा कि वह शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क तथा अन्य शुल्क अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करेंगे एवं अल्पसंख्यक संस्थान भी अपने कालेजों हेतु निर्धारित शुल्क तथा अन्य शुल्क अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करेंगे।
- प्रवेश के समय निम्नलिखित मूल अभिलेखों का सत्यापन आवंटित कालेज/नोडल सेन्टर पर अभ्यर्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर कराया जायेगा:-
 - 1- आवंटन पत्र की कापी।
 - 2- नीट यू0जी0-2023 का प्रवेश पत्र व स्कोर कार्ड।
 - 3- हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की मार्कशीट तथा प्रमाण पत्र।
 - 4- सामान्य निवास प्रमाण-पत्र/मूल निवास प्रमाण पत्र (उ0प्र0 सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत)
 - 5- आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र (उ0प्र0 सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत)
 - 6- पहचान प्रमाण पत्र की छायाप्रति (आधार कार्ड/ड्राइविंग लाइसेन्स/पैन कार्ड/पासपोर्ट)
- प्रवेश के समय अभ्यर्थी को समस्त अभिलेख मूल रूप में एवं स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।
- प्रवेश के समय मूल अभिलेख न होने या सत्यापन में अभिलेख गलत पाये जाने पर आवंटन/प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा। प्रवेश लेने के उपरान्त किसी भी प्रमाण पत्र के सक्षम स्तर से सत्यापन की प्रक्रिया में यदि कोई भी अभिलेख/प्रमाण पत्र/सूचना कूट रचित पायी जाती है तो इस स्थिति में अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त करते हुये सुसंगत धाराओं के अनुसार विधि-सम्मत कार्यवाही की जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी के स्वयं का होगा।





अध्याय-6

त्याग-पत्र

- यू0पी0 नीट यू0जी0-2023 के काउंसिलिंग हेतु त्यागपत्र शासनादेश संख्या-I/348805/2023, Dated 13-07-2023 के अनुसार अनुमन्य होंगे। [Link](#)
- रिट याचिका (सिविल) संख्या- 174/2022 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक: 31.03.2022 को निम्नलिखित आदेश पारित किये गये हैं:-

“ In line with the regulations which have been notified on 5 April 2018, students who have joined in round 2 of the state quota or round 2 of the AIQ shall not be eligible to participate in the mop-up round for All India Quota.”
- रिट याचिका (सिविल) संख्या-267/2017 दार-उस-सलाम एजूकेशनल ट्रस्ट व अन्य बनाम मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.05.2017 में निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों में प्रवेश के सम्बन्ध में बिन्दु-4 में निम्नलिखित आदेश पारित किये गये हैं:-

“After the second round of counselling for All India Quota seats, the students who take admission in All India Quota seats should not be allowed/permitted to vacate the seats. This would ensure that very few seats are reverted to the State Quota and also All India Quota seats are filled by students from the all India merit list only. The students who take admission and secure admission in Deemed Universities pursuant to the second round of counselling conducted by the DGHS shall not be eligible to participate in any other counselling.”
- त्यागपत्र के संबंध में शासनादेश संख्या- I/348805/2023, Dated-13-07-2023 में दिये गये प्रावधान के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं:-
- त्याग-पत्र देने हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे, जिनके द्वारा आवंटन के पश्चात् प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की गयी हो। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश प्रक्रिया जिस कालेज/नोडल सेन्टर पर सम्पन्न की गयी थी, उसी कालेज/नोडल सेन्टर पर अभ्यर्थी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर त्याग-पत्र देना होगा।
- मेडिकल/डेण्टल कालेज/नोडल सेन्टर के प्रभारी अधिकारी समस्त त्याग-पत्र एन0आई0सी0 के पोर्टल पर निर्धारित समयान्तर्गत अपडेट करेंगे। पोर्टल पर अपडेट किये गये त्यागपत्र ही मान्य होंगे। किसी भी अन्य माध्यम से प्रेषित किया गया त्यागपत्र मान्य नहीं होगा।
- यदि कोई अभ्यर्थी प्रथम चक्र की काउंसिलिंग से आवंटित होकर प्रदेश के किसी भी राजकीय/निजी क्षेत्र की मेडिकल/डेण्टल कालेज की सीट पर प्रवेश प्राप्त कर लेता है तत्पश्चात् वह प्रदेश की प्रथम काउंसिलिंग से प्रवेशित सीट से त्यागपत्र देना चाहता है तो ऐसे अभ्यर्थी द्वितीय काउंसिलिंग की च्वाइस फिलिंग से दो दिन पूर्व (उदाहरणार्थ यदि द्वितीय काउंसिलिंग की च्वाइस फिलिंग 24 जुलाई 2023 से प्रारम्भ है, तो अभ्यर्थी 21 जुलाई 2023 को सायं 04.00 बजे तक) अपनी सीट से त्यागपत्र दे सकता है। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी धरोहर धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

Am.





- प्रथम चक्र से प्रवेशित कोई अभ्यर्थी यदि निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् त्याग-पत्र देता है तो ऐसे अभ्यर्थियों पर द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग से संबंधित प्राविधान लागू होंगे।
- राजकीय क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों हेतु प्रदेश की द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग समाप्त होने के पश्चात् प्रथम एवं द्वितीय चक्र से प्रवेशित किसी भी अभ्यर्थी को सीट रिक्त करने की अनुमति नहीं होगी, फिर भी यदि अभ्यर्थी मॉप-अप चक्र से दो दिन पूर्व अपनी सीट से त्याग पत्र देता है तो अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि तथा समस्त शिक्षण शुल्क जब्त कर लिया जायेगा।
- निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों हेतु प्रदेश की द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग समाप्त होने के पश्चात् प्रथम व द्वितीय चक्र से प्रवेशित किसी भी अभ्यर्थी को सीट रिक्त करने की अनुमति नहीं होगी, फिर भी यदि अभ्यर्थी माप-अप राउण्ड से दो दिन पूर्व अपनी सीट से त्याग-पत्र देता है, तो अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि तथा उसके द्वारा तत्समय जमा किये गये शिक्षण शुल्क का 50 प्रतिशत जब्त कर लिया जायेगा।
- राजकीय क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों हेतु प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थी यदि द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग में पुनरावंटन के पश्चात् प्रवेश नहीं लेता है तो अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि तथा समस्त शिक्षण शुल्क जब्त कर लिया जायेगा।
- निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों हेतु प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थी यदि द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग में पुनरावंटन के पश्चात् प्रवेश नहीं लेता है, तो अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि तथा तत्समय जमा किये गये शिक्षण शुल्क का 50 प्रतिशत जब्त कर लिया जायेगा।
- राजकीय क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों हेतु मॉप-अप चक्र के पश्चात् अथवा पाठ्यक्रम पूर्ण करने से पूर्व यदि कोई अभ्यर्थी अपनी सीट से त्याग-पत्र देता है तो उक्त पाठ्यक्रम की समस्त शिक्षण शुल्क तथा रू० 1,00,000 /-(रूपये एक लाख मात्र) अर्थदण्ड के रूप में देय होगा। साथ ही अभ्यर्थी की धरोहर धनराशि भी जब्त कर ली जायेगी। यदि अभ्यर्थी को धरोहर धनराशि वापस की जा चुकी है, तो वह भी अभ्यर्थी को वापस करनी होगी। अर्थदण्ड एवं धरोहर धनराशि डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पक्ष में देय होगा।
- निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों हेतु मॉपअप राउण्ड के पश्चात् अथवा पाठ्यक्रम पूर्ण करने से पूर्व यदि कोई अभ्यर्थी अपने सीट से त्याग पत्र देता है तो उक्त पाठ्यक्रम की समस्त शिक्षण शुल्क सम्बन्धित मेडिकल/डेण्टल कालेज/विश्वविद्यालय को देय होगी तथा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। यदि अभ्यर्थी को धरोहर धनराशि वापस की जा चुकी है, तो वह भी अभ्यर्थी को वापस करनी होगी। धरोहर धनराशि डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पक्ष में देय होगा।



अध्याय-7
अनिवार्य शासकीय सेवा बाण्ड

- चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-950/71-2-82/2017 दिनांक 07.03.2018 में प्रदान निर्देशों के क्रम में राजकीय मेडिकल/डेंटल कालेजों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों में स्नातक (एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0) पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले छात्रों से अनिवार्य शासकीय सेवा से सम्बन्धित बाण्ड भराया जायेगा, जो निम्नानुसार है:-

क्र०	पाठ्यक्रम	बाण्ड की अवधि	बाण्ड की धनराशि	सेवा का स्थान
1	स्नातक (एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0) पाठ्यक्रम	02 वर्ष	रु० 10.00 लाख	"यथासम्भव/यथावश्यकता महानगरों को छोड़कर अन्य जनपदों में स्थापित राजकीय मेडिकल कालेजों में नॉन पी0जी0 जे0आर0 के रूप में तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में संविदा चिकित्सा अधिकारी के रूप में।"



अध्याय-8 सहायता केन्द्र



यू.पी. नीट 2023 सहायता केंद्र

यू.पी. नीट 2023 काउंसिलिंग से संबंधित जानकारी के लिए यू.पी. नीट की वेबसाइट <https://upneet.gov.in> पर जाकर FAQ सेक्शन (एस बी आई बैंक, आई सी आई सी आई बैंक एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग) को ध्यान से पढ़ें। यदि FAQ से आपके समस्या का समाधान न होने की दशा में:

- बैंक से संबंधी अपनी समस्या के लिए नीचे दिये गये एस बी आई बैंक एवं आई सी आई सी आई बैंक के मोबाइल नंबर पर कार्यालय समय (सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक) में कॉल करें या ई-मेल के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करें।
- अन्य किसी भी समस्या के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग के सहायता केंद्र पर कार्यालय समय (सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक) पर संपर्क करें।



भारतीय स्टेट बैंक से संबंधी समस्या के लिए दिये किसी भी नंबर पर संपर्क करें-

मोबाइल नंबर- 9919443034, 7905476049

ई-मेल- sbi.06144@sbi.co.in



आई.सी.आई.सी.आई. बैंक से संबंधी समस्या के लिए दिये किसी भी नंबर पर संपर्क करें-

मोबाइल नंबर- 8318010323, 9372205370, 7753942974

ई-मेल- abhinaya.patel@icicibank.com, pawankumar.vaishya@icicibank.com



चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधी समस्या के लिए दिये किसी भी नंबर पर संपर्क करें-

मोबाइल नंबर- 8189011696, 8189011697, 8189011698, 8189011699, 8189011700

ई-मेल- upneetcounselling2023@gmail.com

Am

Am

Am

Am

- हेल्पलाइन नम्बर एवं ईमेल के माध्यम से जवाब केवल कार्यालय समय में ही दिया जायेगा।
- (कार्यालय समय-10:00 AM To 05:00 PM)

नोट:- अभ्यर्थी सभी ईमेल केवल आधिकारिक ईमेल पर ही भेजें। निम्न जानकारी के बिना भेजे गए ईमेल पर विचार नहीं किया जायेगा।

- I. नाम
- II. पंजीकरण संख्या
- III. रोल नम्बर
- IV. ऑल इंडिया बैंक
- V. मोबाइल नम्बर
- VI. ईमेल आईडी

- उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि जिन प्रश्नों के उत्तर सूचना बुलेटिन में उपलब्ध हैं, उनका उत्तर नहीं दिया जाएगा।



अनुलग्नक: I

क्र०सं०	ऑनलाइन अभिलेखों के सत्यापन हेतु नामित नोडल सेण्टर
1	किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ
2	डा० राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ
3	जी०एस०वी०एम० मेडिकल कालेज, कानपुर
4	एस०एन० मेडिकल कालेज, आगरा
5	एल०एल०आर०एम० मेडिकल कालेज, मेरठ
6	एम०एल०बी० मेडिकल कालेज, झाँसी
7	बी०आर०डी० मेडिकल कालेज, गोरखपुर
8	एम०एल०एन० मेडिकल कालेज, प्रयागराज
9	उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा
10	राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़
11	राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर
12	राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज
13	राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन
14	राजकीय मेडिकल कालेज, सहारनपुर
15	राजकीय मेडिकल कालेज, बाँदा
16	जिम्स, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर

Am

Am

Am

Am

अनुलग्नक: ।।

निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेन्टल कालेजों में आवंटित अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण किये जाने हेतु नोडल सेन्टर की सूची

क0	नोडल सेन्टर	निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज	निजी क्षेत्र के डेन्टल कालेज
1.	किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।	1. कैरियर इंस्टी0 आफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ। 2. एराज लखनऊ मेडिकल कालेज, लखनऊ। 3. टी0एस0 मिश्रा मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ। 4. इंटीग्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ। 5. प्रसाद इंस्टी0 आफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ।	1. कैरियर इंस्टी0 आफ डेन्टल साइंसेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ। 2. सरस्वती डेन्टल कालेज एण्ड रिसर्च, लखनऊ। 3. सरदार पटेल पोस्ट ग्रेजुएट आफ डेन्टल साइंसेज, लखनऊ
2.	डा0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ	6. हिन्द इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, बाराबंकी 7. मेयो इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल कालेज साइंसेज, बाराबंकी। 8. हिन्द इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, सीतापुर।	4. बी0बी0डी0 कालेज आफ डेन्टल साइंसेज, लखनऊ। 5. चन्द्रा डेन्टल कालेज, बाराबंकी।
3.	जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज, कानपुर	9. रामा इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, कानपुर। 10. सरस्वती मेडिकल कॉलेज, उन्नाव। 11. नारायणा मेडिकल कालेज, कानपुर।	6. रामा डेन्टल कालेज, कानपुर। 7. महाराणा प्रताप डेन्टल कालेज एण्ड हास्पिटल, कानपुर।
4.	एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा।	12. के0डी0 मेडिकल कालेज, मथुरा। 13. एफ0एच0 मेडिकल कालेज, आगरा। 14. कृष्ण मोहन मेडिकल कॉलेज, मथुरा। 15. एस0के0एस0 मेडिकल कालेज, मथुरा।	8. के0डी0 डेन्टल कालेज, मथुरा।
5.	एल0एल0आर0 एम0 मेडिकल कालेज, मेरठ।	16. सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ। 17. सरस्वती इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल कालेज साइंसेज, हापुड 18. मुजफ्फरनगर मेडिकल कालेज, मुजफ्फरनगर 19. नेशनल कैपिटल रीजन इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज (एमएसवाई), मेरठ। 20. रामा मेडिकल कालेज हापुड	9 सुभारती डेन्टल कालेज, मेरठ। 10. कालका डेन्टल कालेज एण्ड हास्पिटल, मेरठ। 11. कोठीवाल डेन्टल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, मुरादाबाद।
6.	एम0एल0एन0 मेडिकल कालेज प्रयागराज	21. हेरिटेज इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल कालेज साइंसेज, वाराणसी। 22. यूनाइटेड इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, प्रयागराज।	
7.	बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर		12. पूर्वांचल इंस्टीट्यूट डेन्टल साइंसेज, गोरखपुर। 13. डेन्टल कालेज, आजमगढ़।
8.	राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेटर	23. स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज, (शारदा यूनिवर्सिटी) ग्रेटर नोयडा।	14. आई0टी0एस0 सेन्टर फार डेन्टल मुरादनगर गाजियाबाद।

(Handwritten signatures)

नोयडा।	24. नोयडा इन्टरनेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइसॅज। 25. जी0एस0 मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, पिलखुआ, हापुड।	15. स्कूल ऑफ डेण्टल साइसॅज, (शारदा यूनिवर्सिटी) ग्रेटर नोयडा।	
		16. इन्द्रप्रस्थ डेण्टल कालेज गाजियाबाद।	
		17. आई0टी0एस0 डेण्टल कालेज, हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर ग्रेटर नोयडा।	
		18. आई0डी0एस0टी0 डेण्टल कालेज, मोदीनगर, गाजियाबाद।	
		19. डी0जे0 डेण्टल कालेज गाजियाबाद।	
		20. श्री बांके बिहारी डेण्टल कालेज गाजियाबाद।	
9.	बरेली इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय, बरेली।	26. रूहेलखण्ड मेडिकल कालेज बरेली। 27. वरुण अर्जुन मेडिकल कालेज शाहजहाँपुर। 28. राजश्री मेडिकल कालेज बरेली। 29. श्री राममूर्ति स्मारक इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइसॅज बरेली।	21. आई0डी0एस0 डेण्टल कालेज बरेली।
10.	तीर्थाकर महावीर मेडिकल कालेज, मुरादाबाद।	30. तीर्थाकर महावीर मेडिकल कालेज मुरादाबाद। 31. श्री वेंकटेश्वरा इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइसॅज, गजरौला, अमरोहा।	22. तीर्थाकर महावीर मेडिकल कालेज मुरादाबाद।

Am.

Am.

Am.

अनुलग्नक: III

राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय

Sr.No.	Name of Colleges	Year of Inception	MBBS Seats	AIQ	Central Pool Quota	State Quota
1	किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ	1911	250	37	3	210
2	एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा	1947	128	18	3	107
3	जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज, कानपुर	1956	250	37	3	210
4	एम0एल0एन0 मेडिकल कालेज, प्रयागराज	1961	200	30	3	167
5	एल0एल0आर0एम0 मेडिकल कालेज, मेरठ	1966	100	15	3	82
6	एम0एल0बी0 मेडिकल कालेज, झाँसी	1968	150	23	3	124
7	बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर	1972	150	22	3	125
8	उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा	2006	200	30	—	170
9	राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर	2011	100	15	—	85
10	राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज	2012	100	15	—	85
11	राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़	2013	100	15	—	85
12	राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन	2013	100	15	—	85
13	राजकीय मेडिकल कालेज, सहारनपुर	2015	100	15	—	85
14	राजकीय मेडिकल कालेज, बाँदा	2016	100	15	—	85
15	डा0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ	2017	200	30	—	170
16	राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूं	2019	100	15	—	85
17	जिम्स, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर	2019	100	15	—	85
18	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या	2019	100	15	—	85
19	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बस्ती	2019	100	15	—	85
20	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बहराइच	2019	100	15	—	85
21	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद	2019	100	15	—	85
22	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, शाहजहांपुर	2019	100	15	—	85
23	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फतेहपुर	2021	100	15	—	85
24	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, गाजीपुर	2021	100	15	—	85
25	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, सिद्धार्थनगर	2021	100	15	—	85
26	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया	2021	100	15	—	85
27	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, प्रतापगढ़	2021	100	15	—	85
28	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, मिर्जापुर	2021	100	15	—	85
29	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, एटा	2021	100	15	—	85
30	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, हरदोई	2021	100	15	—	85
31	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, जौनपुर	2021	100	15	—	85
Total Seats-			3828	572	21	3235

राजकीय क्षेत्र के डेंटल कालेज

Sr.No.	Name of College	BDS Seats	AIQ	Central Pool Quota	State Quota
1	दन्त संकाय, किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ	70	09	10	51

Note :- Number of seats are variable.

Aw.

Am

Am

अनुलग्नक: IV

निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय

S.No.	Name of Private Colleges	Year of Inception	No. of Seats in 2023-24
1.	कैरियर इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज, लखनऊ (अल्पसंख्यक कॉलेज)	2011	150
2.	एराज़ लखनऊ मेडिकल कॉलेज, लखनऊ (अल्पसंख्यक कॉलेज)	1997	150
3.	एफ. एच. मेडिकल कॉलेज, आगरा (अल्पसंख्यक कॉलेज)	2014	150
4.	इंटीग्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ (अल्पसंख्यक कॉलेज)	2013	150
5.	तीर्थकर महावीर मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर, मुरादाबाद (अल्पसंख्यक कॉलेज)	2008	150
6.	सुभारती मेडिकल कॉलेज, मेरठ	1996	200
7.	श्री राममूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बरेली	2005	150
8.	मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरनगर	2006	200
9.	रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज, बरेली	2006	250
10.	रामा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रिसर्च एण्ड हॉस्पिटल, कानपुर	2008	150
11.	सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, हापुड	2008	150
12.	हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बाराबंकी	2009	100
13.	स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज (शारदा यूनिवर्सिटी) ग्रेटर नोएडा	2009	250
14.	रामा मेडिकल कॉलेज साइन्सेज रिसर्च एवं हॉस्पिटल, हापुड	2011	250
15.	मेयो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बाराबंकी	2012	250
16.	राजश्री मेडिकल कॉलेज, बरेली	2014	250
17.	हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वाराणसी	2015	200
18.	हिन्द मेडिकल कॉलेज, सीतापुर	2015	150
19.	के.डी. मेडिकल कॉलेज, मथुरा	2015	150
20.	कृष्ण मोहन मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, पाली डूंगरा, सोंख रोड, मथुरा	2016	150
21.	प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ	2016	150
22.	सरस्वती मेडिकल कॉलेज, उन्नाव	2016	150
23.	वेंकटेश्वरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, गजरौला, अमरोहा	2016	150
24.	टी.एस. मिश्रा मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, लखनऊ	2016	150
25.	वरुणार्जुन मेडिकल कॉलेज और रोहिलखंड हॉस्पिटल, शाहजहांपुर	2016	150
26.	जी0एस0 मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, हापुड	2017	150
27.	नेशनल कैपिटल रीजन इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज, मेरठ (एम0एस0वाई0)	2017	150
28.	यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, प्रयागराज	2020	150
29.	नोएडा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, गौतमबुद्ध नगर	2020	150
30.	नारायणा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, कानपुर	2021	150
31.	एस0के0एस0 मेडिकल कॉलेज, मथुरा	2023	150
	TOTAL-		5250

Note :- Number of seats are variable.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

निजी क्षेत्र के डेंटल कालेज

Sr. no.	Institute Name	Year of Inception	BDS Seats
1	सरदार पटेल पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल एंड मेडिकल साइंसेज, लखनऊ	1996	100
2	रामा डेंटल कॉलेज, कानपुर	1996	100
3	सुभारती डेंटल कॉलेज, मेरठ	1996	100
4	सरस्वती डेंटल कॉलेज, लखनऊ	1998	100
5	डी.जे. कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज एंड रिसर्च, मोदीनगर, गाजियाबाद (अल्पसंख्यक)	1999	100
6	कोठीवाल डेंटल कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर, मुरादाबाद	1999	100
7	कैरियर डेंटल कॉलेज, लखनऊ (अल्पसंख्यक)	2000	100
8	आई0 टी0 एस0 डेंटल कॉलेज, अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र, गाजियाबाद	2000	100
9	इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल स्टडीज एंड टेक्नोलॉजीज, मोदीनगर, गाजियाबाद	2000	100
10	बीबीडी डेंटल कॉलेज, लखनऊ	2000	100
11	वे0डी0 डेंटल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, मथुरा	2001	100
12	इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, बरेली	2001	100
13	चंद्रा डेंटल कॉलेज, बाराबंकी	2003	100
14	श्री बांके बिहारी डेंटल कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर, गाजियाबाद	2004	100
15-	कालका डेंटल कॉलेज मेरठ	2004	100
16	डेंटल कॉलेज, आजमगढ़	2005	100
17	महाराणा प्रताप डेंटल कॉलेज, कानपुर	2005	100
18	तीर्थंकर महावीर डेंटल कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर, मोरादाबाद (अल्पसंख्यक)	2005	100
19	पूर्वांचल डेंटल कॉलेज गोरखपुर	2005	100
20	स्कूल ऑफ डेंटल साइंसेज, (शारदा यूनिवर्सिटी) ग्रेटर नोएडा	2006	100
21	इंद्रप्रस्थ डेंटल कॉलेज एवं अस्पताल, गाजियाबाद	2006	100
22	आई0टी0एस0 डेंटल कॉलेज, अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र, ग्रेटर नोएडा	2006	100
	TOTAL		2200

Note :- Number of seats are variable.

Am

Am

Am

अनुलग्नक: V

Office of MCC
Email: adgme@nic.in



GOVERNMENT OF INDIA
DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES
NIRMAN BHAWAN, NEW DELHI-110108

Ref. U-11011/01/2023-MEC

Dated: 05-07-2023

NOTICE

Urgent Attention all PwD Candidates of NEET-UG, 2023:

All candidates who have registered themselves under PwD quota in NEET-UG(2023) NTA form are hereby informed that the PwD portal for generation of PwD certificates by the Designated *Disability NEET screening Centres* is now open.

Hence, the candidates who are desirous to get a PwD seat through the MCC counselling process may get the disability certificate issued from any one of the designated NEET Disability screening Centre (as per list attached below) **through online mode only**.

However, the candidates have to visit the designated *Disability NEET Screening Centres* for physical examination and quantification of their disability and obtain PwD certificate generated online by the centre. No other certificate except the one generated through the MCC portal in online mode will be accepted at the time of admission.

In addition, all candidates irrespective of the fact whether they have qualified NEET UG exam in terms of cut off percentile will be able to get the online certificate issued from the designated centres.

The candidates are advised to keep in touch with the MCC website (mcc.nic.in) for latest updates.

Notice posted on:- 05-07-2023

List of Disability Certification Centres who will issue Disability Certificates as per NMC norms to PwD candidates in support of their claim to avail 5% PwD reservation in UG/ Broad Speciality PG Courses

S/No.	Name of Disability Certification Centre	City/State	Specialities Available for which Disability Certificate can be issued as per category of Disabilities mentioned in Disability Certificate
1.	Vardhman Mahavir Medical College & Safdarjang Hospital (VMMC & SJH)	New Delhi	All Disabilities as mentioned in Disability Certificate except Visual disabilities category and Intellectual Disabilities & Behavioural disabilities.
2.	All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation (AIIPMR)	Mumbai	For Locomotor Disability only
3.	Institute of Post Graduate Medical Education & Research (IPGMER)	Kolkata	All Disabilities as mentioned in Disability Certificate
4.	Madras Medical College (MMC)	Chennai	All Disabilities as mentioned in Disability Certificate
5.	Grant Government Medical College, J.J. Hospital Compound	Mumbai, Maharashtra	All Disabilities as mentioned in Disability Certificate
6.	Goa Medical College	Goa	All Disabilities as mentioned in Disability Certificate except Speech Disability.
7.	Government Medical College, Thiruvananthapuram	Thiruvananthapuram, Kerala	All Disabilities as mentioned in Disability Certificate. Ophthalmology Tests to be conducted at Regional Institute of Ophthalmology, Thiruvananthapuram under GMC Thiruvananthapuram
8.	SMS Medical College	Jaipur, Rajasthan	All Disabilities as mentioned in Disability Certificate except: 1. Neurology- Genetic Testing 2. ENT- Speech & Language Disability Testing Orthopaedics/ PMR- Gonitometer Adult. Plumb Line, Hand Dynamometer, Laser
9.	Govt. Medical College and Hospital, Sector32	Chandigarh	All Disabilities as mentioned in Disability Certificate

AM

AM

AM

10.	Govt. Medical College, Agartala, State Disability Board	Agartala/Tripura	All Disabilities as mentioned in Disability Certificate
11.	Institute of Medical Sciences, Banaras Hindu University,	Varanasi/ Uttar Pradesh	All Disabilities as mentioned in Disability Certificate except Intellectual Disability.
12.	Ali Yavar Jung National Institute of Speech and Hearing Disabilities, Bandra, Mumbai	Mumbai, Maharashtra	For Hearing Disabilities only
13.	AIIMS, Nagpur	Nagpur, Maharashtra	All Disabilities as mentioned in Disability Certificate
14.	Atal Bihari Vajpayee Institute of Medical Sciences & RML Hospital, New Delhi. (ABVIMS & RMLH)	New Delhi	All Disabilities as mentioned in Disability Certificate except ENT For Visual Disability: Candidates who use LVAs may bring their own LVAs which can be checked.
15.	Lady Hardinge Medical College & Associated Hospitals (LHMC)	New Delhi	All Disabilities as mentioned in Disability Certificate
16.	All India Institute of Speech and Hearing (AIISH), Mysuru	Mysuru, Karnataka	For Speech & Hearing Disabilities only

Aw, *Aw,* *Aw,* *Aw,*

अनुलग्नक: VI

उत्तर प्रदेश की अन्य पिछड़ी जातियों की सूची

1. अहीर, यादव, ग्वाला, यदुवंशी
3. जाट
4. कुर्मी, चनऊ, कुर्मी-सैथवार, पटेल, पटनवार, कुर्मी-मल्ल
6. गूजर
8. लोध, लोध्या, लोधी, लोट, लोधी-राजपूत
10. अरख, अर्कवंशीय
11. काछी, काछी-कुशवाहा, शाक्य
13. केवट, मल्लाह, निषाद
15. कोइरी
17. कसगर
19. गड़ेरिया, पाल, बघेल
21. चिकवा, कस्साब, कुरैशी, चक
23. जोगी
24. झोजा
26. तमोली, बरई, चौरसिया
27. तेली, सामानी, रोगनगर, साहू, रौनियार, गन्धी, अर्काक
29. धीवर
31. नट (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हो)
33. फकीर
35. बढई, सैफी, विश्वकर्मा, पांचाल, रमगढ़िया, जांगिड, धीमान
36. बारी
38. बिन्द
40. भर, राजभर
42. भठियारा
44. स्वीपर (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हो), हलालखोर
46. लोनिया, नोनिया, गोले ठाकुर लोनिया-चौहान
47. रंगरेज, रंगवा
49. हलवाई, मोदनवाल
50. हज्जाम, नाई, सलमानी, सविता, श्रीवास
51. राय सिक्ख
53. धोबी (जो अनुसूचित जातियों या जनजातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हो)
54. केसरा, ठठेरा, ताम्रकार
56. मीरशिकार
58. मेव, मेवाती
60. रोड़
62. मोची
64. तंवर सिंघाड़िया
66. माहीगीर
68. धाकड़
70. तंतवा
72. पटवा, पटहारा, पटेहरा, देववंशी
74. मनिहार, कचेर, लखेरा
76. मोमिन (अंसार)
77. मुस्लिम कायस्थ
79. नददाफ (धुनिया), मन्सूरी, कन्डरे, कड़ेरे, करण (कर्ण)
2. सोनार, सुनार, स्वर्णकार
5. गिरी
7. गोसाई
9. कम्बोज
12. कहार, कश्यप
14. किसान
16. कुम्हार, प्रजापति
18. कुजड़ा या राईन
20. गद्दी, घोसी
22. छीपी, छीपा
25. डफाली
28. दर्जी, इदरीशी, काकुत्थ
30. नक्काल
32. नायक
34. बंजारा, रंकी, मुकेरी, मुकेरानी
37. बैरागी
39. बियार
41. भुर्जी, भड़भुजा, भूंज, कांदू, कशोधन
43. माली, सैनी
45. लोहार, लोहार-सैफी
48. मारछा
52. सक्का-भिश्ती, भिश्ती-अब्बासी
55. नानबाई
57. शेख सरवारी (पिराई), पीराही
59. कोष्ठा/कोष्ठी
61. खुमरा, संगतराश, हंसीरी
63. खागी
65. कतुआ
67. दांगी
69. गाडा
71. जोरिया
73. कलाल, कलवार, कलार
75. मुराव, मुराई, मौर्य
78. मिरासी

Am

Am

Am

Am

उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों की सूची

- | | | |
|--|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. अगरिया (सोनभद्र जिले को छोड़कर) | 2. बधिक | 3. बादी |
| 4. बहेलिया | 5. बैगा (सोनभद्र जिले को छोड़कर) | 6. बैसवार |
| 7. बजनिया | 8. बाजगी | 9. बलहार |
| 10. बलाई | 11. बाल्मीकि | 12. बंगाली |
| 13. बनमानुश | 14. बांसफोड़ | 15. बरवार |
| 16. बसोड़ | 17. बावरिया | 18. बेलदार |
| 19. बेरिया | 20. भंतू | |
| 21. भुइया (सोनभद्र जिले को छोड़कर) | 23. बोरिया | 24. चमार, झुसिया, धुसिया, जाटव |
| 22. भुईयार | 26. दबगर | 27. धनगर |
| 25. चैरो (सोनभद्र और वाराणसी जिले को छोड़कर) | 29. धरकार | 30. धोबी |
| 28. धानुक | 32. डोमर | 33. दुसाध |
| 31. डोम | 35. घसिया | |
| 34. घरामी | | |
| 36. गोंड (महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर एवं सोनभद्र जिलों को छोड़कर) | 37. ग्वाल | 38. हबूड़ा |
| 39. हरी कंजर | 40. हेला | 41. कलाबाज |
| | 43. कपड़िया | 42. करवल |
| | | 45. खराहा |
| 46. खरवार (बनबांसी को छोड़कर) (देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, और सोनभद्र जिलों को छोड़कर) | | 47. खटीक |
| 48. खोरोट | 49. कोल | 50. कोरी |
| 51. कोरवा | 52. लालबेगी | 53. मझवार |
| 54. मजहबी | 55. मुसहर | 56. नट |
| 57. पंखा (सोनभद्र और मिर्जापुर जिले को छोड़कर) | 59. पासी, तरमाली | |
| 58. परहिया (सोनभद्र जिले को छोड़कर) | 61. रावत | |
| 60. पटरी (सोनभद्र जिले को छोड़कर) | 63. सिनोरिया | 64. सांसिया |
| 62. सहारया (ललितपुर जिले को छोड़कर) | 66. तुरैहा | |
| 65. शिल्पकार | | |

उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की सूची

- | | | | | |
|--|-----------|-----------|---------|---------------------|
| 1. थारू | 2. बुक्सा | 3. भोटिया | 4. राजी | 5. जन्नासरी/जौनसारी |
| 6. गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पटारी, राज गोंड (महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर एवं सोनभद्र जनपदों में) | | | | |
| 7. खरवार, खैरवार (देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी एवं सोनभद्र जनपदों में) | | | | |
| 8. सहरया (ललितपुर जिले में) | | | | |
| 9. पराहिया (सोनभद्र जिले में) | | | | |
| 10. बैगा (सोनभद्र जिले में) | | | | |
| 11. पंखा, पनिका (सोनभद्र एवं मिर्जापुर जिले में) | | | | |
| 12. अगरिया (सोनभद्र जिले में) | | | | |
| 13. पटारी (सोनभद्र जिले में) | | | | |
| 14. चैरो (सोनभद्र एवं वाराणसी जिले में) | | | | |
| 15. भुइया, भुनिया (सोनभद्र जिले में) | | | | |

नोट:— अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जारी आरक्षित वर्ग की जातियों की अद्यतन सूची के अनुसार देय होगा।





अनुलग्नक: VII

AGREEMENT BOND FOR CANDIDATES ADMITTED TO

----- COURSE ----- SESSION

THIS DEED OF AGREEMENT BOND IS EXECUTED AT ----- ON THIS
DAY OF -----

BETWEEN

NAME -----
S/O, D/O, W/O -----
RESIDING AT (PERMANENT ADDRESS) -----
(TEMPORARY ADDRESS) :-----
MOBILE NO.: -----
E-Mail id.: -----
AADHAR No. :-----
Hereinafter referred to as ("FIRST PARTY") of the one part

AND

Governor of Uttar Pradesh (here in after referred to as "Government") of the Second Part.

WHEAREAS FIRST PARTY has applied for admission to ----- course and FIRST PARTY has been selected to the said course. As per the Prospectus, the FIRST PARTY has agreed to serve the Government for a period not less than two year after successful completion of the -----course. If the FIRST PARTY fails to serve the government for a period of two year the FIRST PARTY shall forthwith pay a sum of Rs. 10 Lacs for Degree to Government at the specified Government Treasury. During the above period the FIRST PARTY shall be paid Stipend and the Government will request their services within a period of three months from the date of successful completion of the ----- course. In case the Government does not provide services in mentioned period, the BOND shall be released; AND WHEREAS the FIRST PARTY has also agreed that on successful completion of the ----- course his/her certificates relating to ----- course will not be given to the FIRST PARTY unless the FIRST PARTY successfully Serves the Government for a period of two year or pay to the Government on demand the sum of Rs.----- (Rupees -----) only.

If the FIRST PARTY fails to deposit the aforesaid amount in specified period, FIRST PARTY shall be liable to pay interest at the rates specified by the Government as per applicable law during the period 'of delay: AND WHEREAS the Government have, at the request of the FIRST PARTY ----- employed as ----- granted stipend to him/her for a period of 24 months effect from -----in order to enable his/her to study at ----- college.

AND WHERE AS if the FIRST PARTY -----
work s for a period of less than 24 months during the ----- Super
specialty course DM/MCH/----- Post Graduate Degree
MD/MS/Diploma/MDS/Graduate Degree MBBS/BDS course, the proportionate amount will be
treated as stipend and the FIRST PARTY ----- shall pay

27


back in addition to the security amount of Rs.....(Rupees-----
-----only) the balance amount of stipend to the Government. This bond shall in all respects
be governed by the Laws of India, for the time being in force, and the rights and liabilities shall,
where necessary, be accordingly determined by the appropriate courts in India.

NOW THIS DEED OF AGREEMENT BOND WITNESSES AS FOLLOWS: -

1. The FIRST PARTY has agreed to serve the Government for a period of two year on successful completion of the ----- Super specialty course DM/MCH/Post Graduate Degree MD/MS/Diploma/MDS/Graduate Degree MBBS/BDS course. If the FIRST PARTY fails to serve the Government for a period of two year, FIRST PARTY shall pay forthwith a sum of Rs. -----(Rupees -----only) to the Government in the specified Government Treasury.
2. The FIRST PARTY Agrees that till the successful completion of the period of two year service to the Government or till the payment of Rs. ----- (Rupees -----) only is paid the certificates relating to ----- Super specialty course DM/MCH/-----Post Degree MD/MS/Diploma/MDS/ Graduate Degree MBBS/BDS course shall be in the custody of the Concerned Institution/University/College and the Government has a First lien over all the certificates gained by the candidates at the time of admission.
3. The FIRST PARTY authorizes the Concerned Institution/University/College for retention of the certificates till the lien of Government is cleared/discharged.
4. This BOND shall in all respect be governed by the Laws of India, for the time being in force, and the rights and liabilities shall, where necessary, be accordingly determined by the appropriate courts in India.
5. If the FIRST PARTY fails to deposit the aforesaid amount in specified period, FIRST PARTY shall be liable to pay interest at the rate specified by the Government as per applicable law during the period of delay, failing which Government shall have right to recover the aforesaid amount together with interest as arrear of land revenue.
6. The FIRST PARTY shall borne the Stamp duty chargeable on this BOND IN WITNESS WHEREOF parties to this Deed have signed this BOND on the date first above mentioned.

For and behalf of
FIRST PARTY
()

For and behalf of
Governor
()

Witnesses : -

Aw. *Aw.* *Aw.*

Aw.

Chapter 5: Eligibility and Qualifications for MBBS and BDS Course

5.1 Eligibility to appear in NEET (UG) – 2023

Eligibility for appearing in NEET (UG), as per related Regulations of NMC and DCI are as follows:-

- 5.1.1 He/she has completed 17 years of age at the time of admission or will complete that age on or before 31 December of the year of his/her admission to the first year of the Undergraduate Medical Course.

Accordingly, the lower age limit shall be as under:

For Candidates of General (UR)/General-EWS	born on or before
For Candidates of SC/ST/OBC-NCL/PwBD Category	31.12.2006

- 5.1.2 Upper age limit: As per Letter No. U-11022/2/2022-UGMEB, dated 09 March 2022 received from National Medical Commission (NMC), Under Graduate Medical Education Board (UGMEB) regarding the upper age limit, there is no upper age limit.
- 5.1.3 Indian Citizens/ Overseas Citizens of India (OCI) intending to pursue Undergraduate Medical Courses in a foreign Medical/ Dental Institute also need to qualify for NEET (UG).

5.2 Criteria for NRI / OCI / Foreign Nationals

- 5.2.1 Non-Resident Indians (NRIs), Overseas Citizens of India (OCI), and Foreign Nationals are eligible for admission in Medical /Dental Colleges subject to rules and regulations framed by the respective State Governments, Institutions, and the Government of India, as the case may be. The NRI and OCI Applicants/Candidates have to upload a Certificate from the concerned Indian Diplomatic Mission in the country of their residence in support of their claim as an NRI/OCI Candidate, along with their online Application Form for NEET (UG) - 2023 and retain the original of such document for producing it at the time of Counselling / Admission to the Courses covered under NEET (UG). Similarly, a foreign applicant for NEET (UG) 2023 shall also upload Documentary Proof (e.g. relevant pages of a valid passport or a Certificate from the Competent Authority in the country of his/her nationality regarding his/her citizenship status) in support of his/her Nationality, along with online Application Form. The format of Embassy Certificate and Citizenship Certificate or any Documentary proof of Citizenship are given in Appendix - XVII A and XVII B. Foreign nationals may confirm their eligibility from the concerned Medical/Dental/ College/State.
- 5.2.2 Eligibility of OCI cardholders for NEET (UG):

The Ministry of Home Affairs vide Notification dated 4 March 2021 specified the rights to which an OCI cardholder shall be entitled under the Citizenship Act, 1955.

Clause (4) (ii) of the said Notification reads as under:

“(4) parity with Non-Resident Indians in the matter of,-

(ii) appearing for the all India entrance tests such as National Eligibility cum Entrance Test, Joint Entrance Examination (Main), Joint Entrance Examination (Advanced), or such other tests to make them eligible for admission only against any Non-Resident Indian seat or any supernumerary seat:

Provided that the OCI cardholder shall not be eligible for admission against any seat reserved exclusively for Indian citizens."

The above Notification provides the following Explanation:

"The OCI Cardholder (including a PIO card holder) is a foreign national holding passport of a foreign country and is not a citizen of India."

Similarly, the PIO cardholder and foreign nationals shall not be eligible for admission against any seat reserved exclusively for Indian citizens.

Hence, OCI/PIO will be treated as foreigners and be eligible for NRI seats only and will not be eligible for Indian National Seats including paid seats of deemed universities. This is also in pursuance of the Judgement dated 03 February 2023 of the Hon'ble Supreme court of India in W.P (C) No. 891 of 2021.

5.3 Participation of UT of J&K and Ladakh in All India Quota

- 5.3.1 Candidates from UT of J&K and Ladakh are eligible for 15% All India Quota and the candidates from respective UTs can participate like other States.

5.4 Qualifications and Qualifying Examination Codes

To be eligible for NEET (UG) – 2023, candidates need to refer to the following table for qualifying examination criteria.

CODE: 01	<p>A candidate who is appearing in the qualifying examination, i.e., class 12 in 2023, whose result is awaited, may apply and appear in the test but he/she shall not be eligible for admission to the Undergraduate Medical Courses if he/she does not pass the qualifying examination with the required pass percentage at the time of first round of Counselling.</p> <p>Candidates who have appeared or are appearing at the qualifying Examination with English, Physics, Chemistry, and Biology as the main subject and expect to pass the Examination with the required percentage of marks are also eligible to apply and appear in the Competitive Entrance Examination. However, their candidature will be considered only if they provide documentary evidence of having passed the qualifying Examination with the required subjects and percentage of marks.</p>
OR	
CODE: 02	<p>The Higher/Senior Secondary Examination or the Indian School Certificate Examination which is equivalent to class 12 Higher/Senior Secondary Examination after a period of 12 years of study, the last two years of such study comprising of Physics, Chemistry, Biology/Bio-technology (which shall include practical tests in these subjects) and Mathematics or any other elective subject with English at a level not less than the core course for English as prescribed by the National Council of Educational Research and Training after the introduction of the 10+2+3 educational structure as recommended by the National Committee on Education.</p> <p><i>Candidates who have passed Class 12 from Open School or as private candidates shall not be eligible to appear for the 'National Eligibility Cum Entrance Test'. Furthermore, a study of Biology/Biotechnology as an Additional Subject at Class 12 level also shall not be permissible.*</i></p> <p><i>*The candidates who have passed Class 12 level with Biology as an additional subject will also be eligible for MBBS Entrance Examination (as per Hon'ble High Court Order</i></p>

(Handwritten signatures and initials)

No. 2341/-W/DHC/WRIT/D-1/2019 dated 24/09/2019 in the Writ Petition (C) No. 6773/2019.

If the institute has to consider an examination of an Indian University or of a foreign/university to be equivalent to the Class 12 under intermediate science examination, the candidates shall have to produce a certificate from the concerned Indian University/Association of Indian Universities to the effect that the examination passed by him/her is considered to be equivalent to the class 12 under intermediate science examination.

**(NOTE: The proviso in italics has been a subject matter of challenge before the Hon'ble High Court of Delhi, Hon'ble High Court of Allahabad, Lucknow Bench, and Hon'ble High Court of Madhya Pradesh at Jabalpur. The provisions of the regulations disqualifying recognized Open School Board candidates and the candidates who have studied Biology/Biotechnology as an Additional Subject has been struck down. The Medical Council of India has preferred Special Leave Petitions before the Hon'ble Supreme Court and Appeals in the Hon'ble High Courts. Therefore, the candidature of candidates in the NEET (UG) - 2023 who have passed the qualifying examinations i.e. Class 12 from National Institute of Open Schooling or State Open Schools or as private candidates from recognized State Boards; or with Biology/Biotechnology as an additional subject shall be allowed but subject to the outcome of Special Leave Petitions/Appeals filed by the Medical Council of India)*

OR

CODE: 03 The Intermediate/Pre-degree Examination in Science of an Indian University/Board or other recognized examining body with Physics, Chemistry, Biology /Biotechnology (which shall include practical test in these subjects) and also English as a compulsory subject.

OR

CODE: 04 The Pre-professional/Pre-medical Examination with Physics, Chemistry, Biology/Biotechnology, and English after passing either the Higher Secondary Examination or the Pre-University or an equivalent examination. The Pre-professional/Pre-medical examination shall include practical tests in these subjects and also English as a compulsory subject.

OR

CODE: 05 The first year of the three years' degree course of a recognized University with Physics, Chemistry, and Biology/Biotechnology including practical tests in these subjects provided the examination is a University Examination and the candidate has passed the earlier qualifying examination with Physics, Chemistry, Biology/ Biotechnology with English at a level not less than a core course.

OR

CODE: 06 B.Sc. Examination of an Indian University provided that he/she has passed the B.Sc. Examination with not less than two of the subjects Physics, Chemistry, Biology (Botany, Zoology)/Biotechnology and further that he/ she has passed the earlier qualifying examination with Physics, Chemistry, Biology, and English.

OR

CODE: 07 Any other examination which in scope and standard (Last 02 years of 10+2 Study comprising of Physics, Chemistry and Biology/Biotechnology; which shall include practical test in these subjects) is found to be equivalent to the Intermediate Science Examination of an Indian University/Board, taking Physics, Chemistry and Biology/Biotechnology including practical tests in each of these subjects and English.

(Handwritten signatures and initials)

(Handwritten signature)

Note: Due to the COVID outbreak, no examinations were conducted for 2021 batch of Class 10 (Tamil Nadu State Board). Accordingly no marks were given in the marksheet and 'pass' is printed in all subjects with a disclaimer – "As per G.O. (Ms) No. 48, School Education (G.E.) department dated: 25.02.2021, all candidates who studied SSLC in the academic year 2020-21 are declared passed." While filling up of the online Application Form of NEET (UG) - 2023, when the candidate selects 'Passing year' as 2021 with 'School Board' as Tamil Nadu State Board of School Examination (Sec.), the Result Mode field will be disabled and the associated fields for Marks/CGPA will be invisible for Tamil Nadu State Board candidates who have passed their Class 10 in year 2021.


- Provided also that to be eligible for NEET (UG) - 2023, the candidate must have passed in Physics, Chemistry, Biology/Biotechnology, and English individually and must have obtained a minimum of 50% marks taken together in Physics, Chemistry, and Biology/Biotechnology at the qualifying examination as mentioned in the Regulations of NMC and DCL. In addition, they must have got a rank in the merit list of NEET (UG) - 2023 for admission to Undergraduate Medical Courses.
- In respect of the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, or Other Backward Classes (NCL), the minimum marks obtained in Physics, Chemistry, and Biology/Biotechnology are taken together in the qualifying examination shall be 40% marks instead of 50% marks for Unreserved and General-EWS Candidates. In respect of PwBD candidates as per NMC and DCI Regulations, the minimum marks in the qualifying examination in Physics, Chemistry, and Biology (or Botany & Zoology)/Biotechnology taken together shall be 40% instead of 50%.
- Provided further that the students who have received education abroad and wish to seek admission into medical colleges in India must have passed in Physics, Chemistry, Biology/Biotechnology, and English with 50% marks in Class 12, and their equivalency determined by the Association of Indian Universities (AIU) as per regulations of the Medical Council of India and the concerned University.
- The criteria for minimum qualifying marks to be eligible for admission to MBBS courses in AIIMS and JIPMER shall be as per the rules applicable to AIIMS and JIPMER. Candidates should consult the websites of AIIMS/JIPMER.
- *Note: In all other cases, the States/Institutes that have cut-offs for eligibility other than those mentioned above, may follow their own criteria.*

Note:

- The Pre-medical course may be conducted either at a Medical College or at a Science College.
- Marks obtained in Mathematics are not to be considered for eligibility for admission to Undergraduate Medical Courses.
- The candidates who have studied from the Foreign/International Board should ensure that the qualifying examination passed by them is, in scope and standard, as explained in CODE: 07.
- Any interpretation regarding the requirement of Biology / Biological Sciences as one of the subjects of the Qualifying Examination for NEET (UG) will be subjected to Regulation No. 4 (1) of the Graduate Medical Education Regulations (1997) as amended up to 2018 and the Judgement dated 16th February 2021 of Hon'ble Supreme Court of India in Civil Appeal No. 390 of 2021 in the matter of "Kaloji Narayana Rao University of Health Sciences Vs. Srikeerti Reddi Pingle & Ors." (Para 20 & 21).



अनुलग्नक: IX



Am
24.07.23
(Dr. Shalini)

Dr
26.7.2023
(एच. पी. सिंह)

Dr
24/7/23
DR. SHALINI BHALLA. Dr. Rashmi